भीलवाड़ा में ''ऑपरेशन गुड़िया'' चलाकर रोकी थी लड़कियों की खरीद-फरोख्त : डीजीपी

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर। राजस्थान में लड़कियों की खरीद-फरोख्त और महिला अत्याचारों पर जैसे मुद्दे पर पुलिस महकमा सख्त है। इन दिनों जिन दो लड़कियों के बारे में समाचार प्रकाशित हुए हैं, वे अजमेर के नारी निकेतन में रह रही हैं। दोनों पीड़िताओं के साथ वर्ष 2019 में घटना घटित हुई थी। तब पुलिस ने पोक्सो, जेजे व आईपीसी एक्ट के तहत कार्रवाई कर 25 लोगों के खिलाफ चार्जशीट पेश की थी। यह जानकारी डीजीपी एम.एल.लाठर ने प्रेस विज्ञिप्ति जारी कर दी हैं।

- ''वर्ष 2019 में पुलिस ने राजस्थान, उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश और महाराष्ट्र में दबिश देकर सात बच्चियों को मुक्त कराया था। जबकि लड़कियों की खरीद-फरोख्त करने वाले 25 आरोपियों को जेल भेजा था''
- डीजीपी ने स्वीकारा कि भीलवाड़ा के इटुन्दा, पंढेर, हनुमान नगर और अजमेर के सांवर क्षेत्र के नापाखेडा व जसवंत नगर में वेश्यावृत्ति के अड्डों पर किडनैप कर लाई गई बच्चियों को दवाओं के माध्यम से जवान बनाया जाता था।

लाठर ने बताया कि वर्ष 2019 में लड़कियों की खरीद-फरोख्त रोकने लिए पुलिस ने भीलवाड़ा जिले में ''ऑपरेशन गुड़िया'' चलाया गया था। तत्कालीन पुलिस अधीक्षक हरेंद्र महावर एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनुकृति उज्जेनिया और उनकी टीम ने अपहरण कर लाई गई बच्चियों को अपहरणकर्ताओं से खरीद वेश्यावृत्ति करवाने वाले आरोपियों को सलाखों के पीछे पहुंचाया।

भीलवाड़ा के इटुन्दा, पंढेर, हनुमान नगर और अजमेर के सांवर थाना क्षेत्र के नापाखेडा व जसवंत नगर में वेश्यावृत्ति के अड्डे संचालित किये जा रहे थे। इन अड्डों पर किडनैप कर लाई गई बच्चियों को दवाओं के माध्यम से जवान बना कर वेश्यावृत्ति के धंधे में उतारा जाता था। पुलिस जांच में गिरोह के तार राजस्थान के पडौसी राज्य उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र से जुड़े मिले। तब पुलिस ने इन राज्यों के कई स्थानों पर दबिश देकर नाबालिग समेत 7 बच्चियों को दस्तयाब किया था। इनमें से पांच बच्चियों को उनके घर भिजवाया था, जबकि दो को नारी निकेतन अजमेर में ठराने की व्यवस्था की थी। पुलिस ने लड़कियों को खरीदने-बेचने वाले कई आरोपियों को गिरफ्तार कर जांच के बाद 25 लोगों के विरुद्ध कोर्ट में चालान पेश किया था।

रथ का देश भ्रमण आज से, शांति और शाकाहार का संदेश देंगे

जयपुर। वर्ष 2023 में भगवान महावीर का 2550 वां निर्वाणोत्सव पूरे विश्व में मनाया जाएगा। इस मौके पर धार्मिक आयोजन पूरे वर्ष विश्वभर में होंगे। इसी कडी में भगवान महावीर के सिद्धांतों को जन जन तक प्रसारित करने लिए जयपुर के भट्टारकजी की नसियां से एक रथ देश में भ्रमण के लिए रवाना होगा। राज्यपाल कलराज मिश्र और आचार्य सुनील सागर महाराज ससंघ के सानिध्य में भगवान महावीर 2550 वहां निर्वाणोत्सव अहिंसा रथ प्रवर्तन समारोह का आयोजन 30 अक्टूबर को भट्टारक जी की नसियां में होगा।

- राज्यपाल होंगे मुख्य अतिथि, सभी धर्मों के धर्मगुरु भी होंगे शामिल

आचार्य सुनील सागर महाराज

यह जानकारी शनिवार को भट्टारक जी की नसियां में श्री भगवान महावीर 2550 वां निर्वाण महोत्सव समिति के अध्यक्ष डॉ.मणीन्द्र जैन ने पत्रकारों को दी।

राजस्थान जैन युवा महासभा जयपुर के प्रदेश महामंत्री विनोद जैन कोटखावदा ने बताया कि रविवार प्रातः 10.30 बजे से आयोजित रथ प्रवर्तन आरंभ समारोह के मौके पर सभी धर्मों के धर्मगुरु व गणमान्य लोग उपस्थित रहेंगे।

डॉ.मणीन्द्र जैन ने बताया कि यह रथ देश के प्रमुख शहरों, कस्बों एवं गांवों में लगभग 70 हजार किलोमीटर की अपनी आध्यात्मिक यात्रा पूर्ण करेगा, जिससे भगवान महावीर को जन जन के महावीर बनाने में मील का पत्थर साबित होगा।

इस रथ के राष्ट्र भ्रमण से 10 करोड जैनेतर समाज में तीर्थकरों की ओर से उपदेशित जैन धर्म की जन जन का जीवन सुखमय बनाने के लिए प्रमुख बातें तथा जैन समाज की ओर से देश और सर्व समाज के लिए किए जा रहे कार्यों के प्रति जागरूकता पैदा कर अहिंसा, शाकाहार, पर्यावरण तथा भगवान महावीर के प्रमुख सिद्धांत जिओ और जीने दो का प्रचार प्रसार देश भ्रमण के दौरान किया जाएगा।

आचार्य सुनील सागर महाराज ने बताया कि धर्म तोड़ता नहीं अपितु आपस में जोड़ता है। भगवान महावीर अहिंसा, शांति, सहिष्णुता के अग्रदूत थे। आज भगवान महावीर के सिद्धांतों की पूरी दुनिया को आवश्यकता है। यदि सारी दुनिया भगवान महावीर के सिद्धांतों पर चले व पूरी तरह से अपना लेवे तो दुनिया की हिंसा, युद्ध सहित सारी समस्याएं समाप्त हो जाएगी।

लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में मनाए जा रहे राष्ट्रीय एकता सप्ताह में उत्तर-पश्चिम रेलवे जयपुर रेल मंडल की ओर से शनिवार को एकता दौड़ का आयोजन किया। दौड को अरावली क्लब गणपति नगर से अपर मंडल रेल प्रबंधक संजीव दीक्षित ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी डॉ. हिना अरोड़ा, मंडल कार्मिक अधिकारी प्रतुल सारोलीया, वरिष्ठ मंडल सामग्री प्रबंधक-रमेश कुमार व मंडल के अधिकारी, कर्मचारी, यूनियन के पदाधिकारी एवं आमजन उपस्थित रहे।

नाबालिग साली से दुष्कर्म करने वाले को बीस साल की कैद

जयपुर, (का.सं.)। पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत महानगर प्रथम ने 13 साल की साली का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त जीजा को बीस साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर डेढ़ लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने कहा कि नाबालिग की सहमति कानून में कोई महत्व नहीं रखती है।

- अभियुक्त पर डेढ़ लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया

अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजन ने बताया कि पीड़िता के भाई ने 28 अगस्त, 2021 को चाकसू थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में कहा गया कि एक दिन पहले उसकी मां पड़ोस में गई हुई थी और वह खुद भी घर पर नहीं था। इस दौरान अभियुक्त जीजा उसकी नाबालिग बहन को बहला फुसला कर मोटरसाईकिल पर अपने साथ ले गया। परिजनों की ओर से तलाश करने के बाद भी पीड़िता नहीं मिल रही है। ऐसे में उसे बरामद किया जाए। रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने कुछ दिन बाद पीड़िता को बरामद कर अभियुक्त को गिरफ्तार किया। पुलिस जांच में पता चला कि अभियुक्त ने पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया है। इस पर पुलिस ने अभियुक्त के खिलाफ पॉक्सो एक्ट में आरोप पत्र पेश किया।

आगामी 26 जनवरी तक प्रदेश को करें भिक्षावृत्ति से मुक्त : उषा शर्मा

जयपुर, (का.सं.)। मुख्य सचिव उषा शर्मा ने कहा कि प्रदेश को आगामी 26 जनवरी तक भिक्षावृत्ति और भिखारियों से मुक्त करना है। उन्होंने कहा कि 3 महीने की अवधि में सभी भिखारियों का पुनर्वास सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि भिखारियों को इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना में जॉब कार्ड बनाकर रोजगार, इंदिरा रसोई से भोजन, कौशल विकास, रैन बसेरों में रहवास और पुनर्वास केंद्रों पर सम्मान पूर्वक जीने में संलग्न कर समाज की मुख्यधारा से जोड़ा जाए। उन्होंने सभी जिला कलेक्टरों को इसके लिए 26 जनवरी का लक्ष्य निर्धारित करने के निर्देश दिए।

मुख्य सचिव शनिवार को शासन सचिवालय में समस्त संभागीय आयुक्त एवं जिला कलेक्टर के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रही थीं।

बैठक में शर्मा ने कहा की सभी जिला कलेक्टर एसडीएम व अन्य अधिकारी महीने में कम से कम एक बार इंदिरा रसोई में अवश्य खाना खाएं, जिससे भोजन की गुणवत्ता सुनिश्चित हो सकेगी और राज्य सरकार की इस पहल का संदेश आमजन तक जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में स्वीकृत 1000 रसोइयों में से 900 रसोईयां संचालित हैं। उन्होंने शेष रहीं 100 रसोइयों का कार्य पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की जन्म जयंती 19 नवंबर के पहले पूर्ण करने के निर्देश दिए।

मुख्य सचिव ने कहा कि सितंबर माह से प्रारंभ हुई इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना में सभी जिले अधिक से अधिक काम स्वीकृत कर मस्टरोल जारी करें और अधिक संख्या में श्रमिकों को नियोजित करें। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार मनरेगा ने ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराए हैं वैसे ही शहरी क्षेत्रों में यह योजना रोजगार की तस्वीर बदलने में सहायक सिद्ध होगी।

- जिला कलेक्टरों से महीने में एक बार अवश्य इंदिरा रसोई में खाना खाने के निर्देश दिये
- तीन महीने की अवधि में सभी भिखारियों का पुनर्वास सुनिश्चित किया जाए : सीएस

इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना 2021 की प्रगति की समीक्षा करते हुए शर्मा ने कहा कि इस योजना के तहत 50 हजार रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। उन्होंने प्रत्येक बुधवार को जिला कलेक्टर, संबंधित बैंक मैनेजर व नगरपालिका के सहयोग से कैंप लगाने के निर्देश दिए ताकि थड़ी, स्ट्रीट वेंडर्स, छोटे खुदरा व्यापारियों को इस योजना से जोड़ा जा सके।

सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन लगाने को लेकर उषा शर्मा ने अवैध सिंगल यूज प्लास्टिक के निर्माण, बेचान व संग्रहण यूनिट की पहचान करने व वैकल्पिक प्लास्टिक के प्रचार-प्रसार पर जोर दिया। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की समीक्षा के दौरान मुख्य सचिव ने कहा कि सभी पात्र लोगों में से 90 प्रतिशत का 31 दिसंबर तक योजना में नामांकन सुनिश्चित किया जाए। लंपी स्किन रोग की रोकथाम व बचाव के लिए उन्होंने कहा की हालांकि अभी स्थिति नियंत्रण में है तथापि नवंबर तक सभी पशुओं के टीकाकरण के काम को पूर्ण करने के निर्देश दिए। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में लगभग 1 करोड़ 40 लाख से अधिक पशु हैं और 45 लाख से अधिक पशुओं का टीकाकरण पूर्ण किया जा चुका है। इस अवसर पर चिकित्सा क्षेत्र में बेस्ट प्रैक्टिसेज, मनरेगा, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, राजीविका, जिलों में निर्यात संवर्धन की योजनाओं की समीक्षा भी की गई। बैठक में बताया गया कि राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 12 नवंबर को किया जाएगा। मुख्य सचिव ने जिला कलेक्टरों को राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन को सार्थक बनाने के निर्देश दिए।

धौलपुर में होगा बाईपास व रिंग रोड का निर्माण

जयपुर, (का.सं.)। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने धौलपुर जिले में सड़क निर्माण के विभिन्न कार्यों के लिए 112.95 करोड़ रूपए के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। गहलोत की इस स्वीकृति से धौलपुर जिले के बाड़ी रोड़ से भरतपुर धौलपुर रोड़ को जोड़ते हुए सैंपउ में 41.91 करोड़ रूपए की लागत से बाईपास का निर्माण होगा तथा बाड़ी शहर में 71.04 करोड़ रूपए की लागत से रिंग रोड का निर्माण होगा।

प्रदेश में करोना संक्रमित बढ़ने का क्रम जारी

जयपुर (कासं)। प्रदेश में पिछले तीन दिन से कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ने का क्रम जारी है। शनिवार को भी शुक्रवार के मुकाबले नए मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हुई। चिकित्सा विभाग की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार शनिवार को प्रदेश में 61 नए करोना संक्रमित सामने आए, जबकि 85 मरीज ठीक हुए। फिलहाल 275 एक्टिव केस रह गए है। आंकड़ों के मुताबिक सबसे ज्यादा 31 नए संक्रमित जयपुर जिले में मिले हैं। इसके अलावा जोधपुर में 15, अजमेर में 6, कोटा और उदयपुर में 2-2 तथा सीकर, अलवर, बाड़मेर, भरतपुर, हनुमानगढ़ में एक-एक संक्रमित मिला है। जयपुर में 24 करोना संक्रमित ठीक हुए है। यहां फिलहाल 110 एक्टिव केस बचे हुए है।

अखिल विश्व गायत्री परिवार शांतिकुंज हरिद्वार के तत्वावधान में झोटवाड़ा में करधनी थाने के पीछे आयोजित 24 कुंडीय गायत्री महायज्ञ में शनिवार को सैकड़ों श्रद्धालुओं ने विश्व कल्याण की कामना के साथ यज्ञ देवता को आहुतियां अर्पित की। रुद्र गायत्री, सूर्य गायत्री मंत्र से विशिष्ट आहुति अर्पित की गई। नारी सशक्तिकरण के लिए भी आहुति दी गई।

एपीओ डीटीपी को स्थानीय निकाय में एसटीपी लगाने पर मांगा जवाब

जयपुर, (का.सं.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने एपीओ चल रहे डिप्टी टाउन प्लानर (डीटीपी) को स्थानीय निकाय विभाग में सीनियर टाउन प्लानर (एसटीपी) नियुक्त करने पर राज्य सरकार सहित अन्य से जवाब मांगा है। जस्टिस इन्द्रजीत सिंह ने यह आदेश राजपाल चौधरी की याचिका पर दिए।

याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ता का मूल विभाग स्थानीय निकाय है और वह वहां डिप्टी टाउन प्लानर के तौर पर तैनात है। याचिकाकर्ता सीनियर टाउन प्लानर के पद पर पदोन्नति की पात्रता रखता है, लेकिन डीपीसी नहीं होने के कारण वह पदोन्नत नहीं हो सका। इस दौरान राज्य सरकार ने गत अगस्त माह में सात साल सेवा का कार्य अनुभव रखने वाले और याचिकाकर्ता से कनिष्ठ यूडीएच विभाग के डीटीपी को याचिकाकर्ता के ऊपर एसटीपी लगा दिया। वहीं बाद में गत छह सितंबर को यूडीएच विभाग के ही एपीओ चल रहे एक डीटीपी को स्थानीय निकाय में एसटीपी लगा दिया। याचिका में कहा गया कि राज्य सरकार का छह सितंबर का आदेश गलत है। याचिकाकर्ता स्थानीय निकाय का है और पदोन्नति के लिए पात्र है। ऐसे में यूडीएच विभाग के एपीओ चल रहे डीटीपी को स्थानीय निकाय में एसटीपी नहीं लगाया जा सकता। इसलिए छह सितंबर का आदेश रद्द किया जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है।

जयपुर मेट्रो के विस्तार के लिए 204.81 करोड़ रूपए मंजूर

जयपुर, (का.सं.)। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुरवासियों के लिए मेट्रो सुविधा को और अधिक सुलभ बनाने की दिशा में जयपुर मेट्रो के फेज-1-डी (मानसरोवर से अजमेर रोड चौराहा) के निर्माण के लिए 204.81 करोड़ रूपए की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है।

- जयपुर मेट्रो के फेज-1डी में मानसरोवर से अजमेर रोड चौराहा तक होगा निर्माण

उल्लेखनीय है कि गहलोत ने बजट वर्ष 2022-23 में जयपुर मेट्रो का विस्तार करते हुए बड़ी चौपड़ से दिल्ली-आगरा हाइवे पर ट्रांसपोर्ट नगर को (फेज-1-सी) एवं मानसरोवर से अजमेर रोड चौराहा (फेज-1-डी) को मेट्रो द्वारा जोड़ने की घोषणा की थी। वर्तमान में जयपुर के मानसरोवर से बड़ी चौपड़ तक मैट्रो संचालित है।

तीये की बैठक

अत्यंत दुःख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारी पूजनीय माताजी

श्रीमती सौभाग देवी सेवड़िया

(पति स्व. श्री किशनलाल सेवड़िया) का स्वर्गवास दिनांक 28.10.2022 को हो गया। जिनकी तीये की बैठक दिनांक 30.10.2022 रविवार को सायं 4:00 से 5:00 बजे तक झटपट बालाजी मंदिर, राधा विहार, न्यू सांगानेर रोड सोडाला जयपुर पर रखी गई है।

शोकाकुल- भागीरथ सिंह चौधरी (Retd. BSNL), बालमुकुंद, सुरेश, नंदकिशोर (पुत्र) प्रशांत, उदिप, ईशा, भानुप्रताप (पौत्र), समस्त सेवड़िया परिवार।

मो.- 9414330039, 9828015470

नम्बर मिलाइए 9587884433

सिर्फ एक फोन कॉल पर विज्ञापन घर बैठे बुक करायें।

शैल्बी हॉस्पिटल के विशेषज्ञों ने स्ट्रोक के लक्षण और उपचार बताए

जयपुर (कासं)। 'वर्ल्ड स्ट्रोक डे' पर शैल्बी हॉस्पिटल, जयपुर के न्यूरो विशेषज्ञों ने आमजन के साथ कई महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की हैं। उन्होंने बताया कि मुख्यत: दो प्रकार के स्ट्रोक होते हैं, जिन्हें इस्केमिक स्ट्रोक और हेमोरेजिक स्ट्रोक (ब्रेन हेमरेज) कहा जाता है।

इस्केमिक स्ट्रोक में मस्तिष्क की धमनी में रक्त का थक्का जम जाता है व रक्त प्रवाह रूक जाता है। लगभग 85 प्रतिशत मामले इसी श्रेणी में आते है। जबकि हेमोरेजिक स्ट्रोक (ब्रेन हेमरेज) वह स्थिति है जब धमन (आर्टरी) फट जाती है, तब अधिक मात्रा में खून बहता है और मस्तिष्क के किसी हिस्से में जमा हो जाता है। जिसके कारण मरीज को लकवा हो जाता है।

विशेषज्ञों ने बताया कि ब्रेन (दिमाग) के एक खास हिस्से तक ब्लड सप्लाई में समस्या होने पर स्ट्रोक का खतरा रहता है। ब्रेन स्ट्रोक तब होता है जब मस्तिष्क में रक्त परिसंचरण में रुकावट होती है या जब मस्तिष्क में रक्त वाहिका फट जाती है या लीक हो जाती है। ऑक्सीजन और रक्त की कमी से मस्तिष्क में ऊतक और कोशिकाएं क्षतिग्रस्त हो जाती हैं और कुछ ही समय में मर जाती हैं।

जब किसी मरीज को स्ट्रोक होता है तो उसके शरीर में कई लक्षण दिखते हैं। जैसे अचानक एक तरफ के हाथ-पैर कमजोर होना, अचानक देखने में समस्या या धुंधला दिखाई देना, अचानक शरीर का कोई भी हिस्सा सुन्न पड़ना, अचानक शरीर पर कंट्रोल न होना, अचानक बोली में परिवर्तन इत्यादि। अगर स्ट्रोक के लिए उपचार की बात करें तो हेमोरेजिक स्ट्रोक में मरीज में ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना होता है और कुछ मरीजों में सर्जरी की जरूरत भी पड़ सकती है। वहीं इस्केमिक स्ट्रोक में मरीज को शुरूआती 4.5 घण्टे में थ्रोमबोलिसिस का विकल्प रहता है। उसके पश्चात कुछ चुनिन्दा मरीजों में मेकेनिकल थ्रोमबेक्टोमी के द्वारा थक्के को धमनी से निकाला जा सकता है, ताकि रक्त का प्रवाह फिर से चालू हो सके। दोनों ही इलाज के विकल्प जितने जल्दी किए जाएं, परिणाम उतने ही अच्छे प्राप्त होते है।

विशेषज्ञों ने बताया कि शैल्बी मल्टी-स्पेशिलिटी हॉस्पिटल जयपुर के डिपार्टमेन्ट ऑफ न्यूरोलॉजी में स्वस्थ मस्तिष्क ओर इसके बेहतर इलाज के लिए अनुभवी डॉक्टर्स की टीम एवं विश्व स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध है। मुख्यत: स्ट्रोक मेडिकल इमरजेंसी के लिए यहाँ उत्कृष्ट स्ट्रोक युनिट है, जिनमें कई आधुनिक जांच उपकरण एवं चिकित्सा तकनीक इत्यादि शामिल है।

शास्त्रीय संगीत संध्या सजी

जयपुर। जयपुर में गोपाल कृष्ण स्प्रिंग फाउंडेशन की ओर से भारतीय शास्त्रीय संगीत संध्या का आयोजन किया। पंडित निषेन्द् किंजल्क ने सितार पर राग मधुवंती की सुंदर प्रस्तुति दी। कार्यक्रम में उभरते हुए कलाकार अक्षत शर्मा ने गिटार पर राग झिंझोटी से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। अक्षत शर्मा विश्व विख्यात विचित्र वीणा वादक पंडित गोपाल कृष्ण शर्मा के पोते और सुप्रसिद्ध गिटार वादक पंडित श्री कृष्ण शर्मा के पुत्र हैं।

खोया पाया

मेरी फर्म कविश एंटरप्राइजेज को बजाज ऑटो फाइनेंस से रिपोकिट नं. PLSED673193, PLSED673194, PGYED823838, PGYED823839, PGYED823738, GSPED737826, GSPED739453, PGYED823947, PGYED823795, GSPED739659, PGYED823388, PGYED823555, PGYED823556, PGYED823557, PGYED823558, PGYED824533, PGYED824550, PGYED824724, PGYED824778 जारी की गई थी। जो भरी हुई कहीं गुम हो गई। मिलने पर सूचित करें। हिम्मत चौधरी 9214057395

आवास संख्या 37/165 मानसरोवर जयपुर का कब्जा पत्र व आवंटन पत्र गिर/गुम हो गया मिलने पर सूचित करें। धापू बाई मो.7222055587

आम सूचना सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे अभिभाष्य श्री गोरधन शर्मा, निवासी-176, व्यास कॉलोनी, रावण का चौराहा, नाहरी का नाका, शास्त्री नगर, जयपुर के हैं तथा उसका पुत्र देवेंद्र शर्मा मेरे अभिभाष्य के कहने में नही है एवं वह मेरे अभिभाष्य दबाव में लाने के लिये एवं झूंठों केसों में फसाने की धमकियाँ देता हैं एवं मेरा अभिभाष्य अपने उक्त पुत्र को दिनांक 28.10.2022 से अपनी चल व अचल सम्पत्ति व अपनी निजी जिन्दगी से बेदखल करता हैं। यदि इनसे किसी भी प्रकार का संव्यवहार करेगा तो वह उसके लिये स्वयं जिम्मेदार होगा। सूचित रहे।
जयपुर (महेश कुमार ज्योतिषी) एडवोकेट
दिनाक-29.10.2022 मो.नं. 7976249094

PUBLIC NOTICE Dated: 01.10.2022
Public in General is hereby informed that our client Shri Dinesh Kumar Rana S/o Late Shri O. P. Rana, Aged 57 Years, and his wife Smt. Neerja Rana W/o Shri Dinesh Kumar Rana, Aged 53 Years, Both Resident Of,158, Doctors Colony, Jaipur 302021, have ceased all relations with their son Shri Himanshu Singh Rana, who is not staying with them since last one and a half year (address not disclosed to them) and taking his personal decisions/ acts/ deeds/ conduct and professional decisions independently or under influence/ pressure of others which is nothing to do with my client. Both of our above-named clients have also disowned and debarred their above-named son Shri Himanshu Singh Rana from all their moveable and immovable properties, anybody dealing with him and his company in reference to his relationship, agreement, MOU, understanding (if any) will do so at his/her/their own risk and responsibilities and our client shall not be responsible for any act, deed or dealing done by Shri Himanshu Singh Rana. This is without prejudice to all other legal rights and remedies available to our client for the above-stated purpose. A copy of this notice has been retained in our office for necessary action.
Hardik Agarwal (Advocate) Mob.: 9314638289

कार्यालय उप आवासन आयुक्त, वृत्त द्वितीय
राजस्थान आवासन मण्डल, अग्रवाल फार्म, मानसरोवर,जयपुर
Email Id:dhejpr2.rhb@rajasthan.gov.in,Phone No. 0141-2782772
क्रमांक-DHC-II/704 दिनांक-29.10.2022
जाहिर आम सूचना सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा आवास संख्या 2/177, मानसरोवर, जयपुर, क्षेत्रफल 200.00 वर्ग मीटर/वर्ग गज का आवंटन श्री दयाराम पूनिया पुत्र श्री सुरजाराम पूनिया को किया गया था। जिसका आवंटन पत्र क्रमांक 608 दिनांक 29.04.1989 को जारी किया गया। इनके द्वारा उक्त आवास का भौतिक कब्जा दिनांक 06.07.1989 को प्राप्त कर लिया गया था। इसके पश्चात राजस्थान आवासन मण्डल के पत्र क्रमांक 622 दिनांक 29.05.1990 के द्वारा श्री दयाराम पूनियां पुत्र श्री सुरजाराम पूनियां के नाम अदेय प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया। इनके द्वारा अपने स्वयं के पक्ष में उक्त आवास के पंजीयन प्रपत्रों का निष्पादन कार्यालय उप पंजीयक, जयपुर में दिनांक 30.03.1991 को करवाया गया। राजस्थान आवासन मण्डल के पत्र क्रमांक 2584 दिनांक 24.07.2007 के द्वारा श्री झम्मट राम धीरिया पुत्र श्री खेमचन्द धीरिया के नाम पंजीयन पश्चात् हस्तान्तरण कर दिया गया। तत्पश्चात् श्री झम्मट राम धीरिया की मृत्यु दिनांक 21.05.2020 को हो जाने के कारण इनके पुत्रान श्री प्रदीप धीरिया, सुनील धीरिया एवं श्री योगेन्द्र धीरिया पुत्रान स्व. श्री झम्मट राम धीरिया ने मृत्यु पश्चात नाम हस्तान्तरण सम्बन्धी प्रपत्र तथा पंजीकृत हकत्याग प्रस्तुत कर उक्त आवास को अपने नाम हस्तान्तरण हेतु निवेदन किया है। श्री प्रदीप धीरिया, सुनील धीरिया एवं श्री योगेन्द्र धीरिया पुत्रान स्व. श्री झम्मट राम धीरिया के द्वारा मण्डल अभिलेख में उक्त आवास का मृत्यु पश्चात् नाम हस्तान्तरण अपने पक्ष में करने का निवेदन किया है। अतः उक्त आवास के हस्तान्तरण के संबंध में किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन के 7 दिवस में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर देवें, अन्यथा उक्त अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नही होने पर उक्त वर्णित व्यक्ति/आवेदक श्री प्रदीप धीरिया, सुनील धीरिया एवं श्री योगेन्द्र धीरिया पुत्रान स्व. श्री झम्मट राम धीरिया के पक्ष में उक्त आवास के हस्तान्तरण की कार्यवाही कर दी जावेगी। उक्त जाहिर आम सूचना उप आवासन आयुक्त महोदय से अनुमोदित है।
सम्पदा प्रबन्धक, वृत्त द्वितीय, जयपुर

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
www.jda.urban.rajasthan.gov.in
क्रमांक-जविप्रा/जोन-7/2022/डी-2292 दिनांक-29.10.22
आम सूचना निजी खातेदारी की आवासीय योजना केडियाज प्रकाश ऐवन्यूज ब्लॉक-ए नियमन शिविर का आयोजन करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत योजना ग्राम सिरसी, तहसील जयपुर जिला जयपुर के निम्नलिखित खसरा नम्बरों के भाग का नियमन शिविर आयोजित किया जाता है-
क्र. सं.-1, ग्राम का नाम मय तहसील-ग्राम सिरसी, तहसील जयपुर जिला जयपुर, हाल खसरा नम्बर-921,922,2322/2301,924,923/2303, योजना का नाम-केडियाज प्रकाश ऐवन्यूज ब्लॉक-ए, शिविर दिनांक-02.11.2022, शिविर स्थल-जविप्रा परिसर
अतः योजना के क्षेत्र में आने वाले खसरा नम्बर के संबंध में अगर किसी खातेदार/हितदार/भूखण्डधारी/व्यक्ति/संस्था/अन्य किसी को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति पश्चात् कार्यालय में जोन-7 जयपुर में अपनी आपत्ति मय दस्तावेज गवाह साक्ष्य आदि एवं आपत्ति के समर्थन में स्वयं की पहचान के प्रमाण सहित प्रस्तुत करें।
प्राधिकृत अधिकारी जोन-7, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

उद्घोषणा (इश्तिहार) न्यायालय (राज.)
व्यवहार मिश्रित (मुत्तफरिक) वाद सं. 4851/2022
विषय- उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र प्रोबेट, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन प्राप्त करने हेतु प्रार्थना-पत्र।
प्रार्थी-नाम श्रीमती संजू मोहनोत पत्नी स्व. श्री महीपत राज मोहनोत, आयु 58 वर्ष, निवासी-बी-83, फ्लैट नं.जी-2, नीलेश अपार्टमेन्ट, रमन मार्ग, तिलक नगर, जवाहर नगर, जयपुर-302004 (राज.)
विवाद स्थान- मृतक द्वारा छोड़ी गई चल सम्पत्तियों के संबंध में।
मृतक-श्री महीपत राज मोहनोत की सम्पति के विषय में।
पेशी दिनांक-04.11.2022
सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त प्रार्थीया ने इस न्यायालय में इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है कि मृतक नाम श्री महीपत राज मोहनोत पुत्र स्व. श्री उगम राज मोहनोत, जाति...निवासी बी-83, फ्लैट नं. जी-2, नीलेश अपार्टमेन्ट, रमन मार्ग, तिलक नगर, जवाहर नगर, जयपुर-302004 (राज.) की उत्तराधिकारी स्वीकार कर उसके पक्ष में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र, प्रोबेट, लेटर ऑफ एडमिनिस्टेशन प्रदान किया जावे।
अतः उक्त प्रार्थना पत्र की स्वीकृति में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वह इस न्यायालय में दिनांक 04.11.2022 को न्यायालय में उपस्थित होकर अपनी आपत्ति प्रमाण सहित प्रस्तुत करें। उक्त दिवस के पश्चात् कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।
आज दिनांक 17 माह 10 सन् 2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रांकन से जारी किया गया।
प्रार्थीया ने मृतक श्री महीपत राज मोहनोत के प्रार्थना पत्र में वर्णित शेयर्स बावत् उत्तराधिकार प्रमाण पत्र चाहा है।
मोहर अदालत
आज्ञा से-वरिष्ठ मुसरिम
जिला एवं सैशन न्यायालय
जयपुर महानगर प्रथम